CNR. No. UPBU16 001127 2024

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर

विविध वाद संख्या 116/2024
मु०अ०सं० 971/2020
विरेश कुमार बनाम सतेन्द्र।

अन्तर्गत धारा 506 भा०दं०सं०।
थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

दिनांकः- 30.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी उपस्थित।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं० 10A प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में विवेचनाधिकारी द्वारा एफ.आर. न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी एफ.आर. को स्वीकार कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद में अंतिम आख्या स्वीकार कर मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमे में अन्तिम आख्या न्यायालय में इस आशय की प्रेषित की गयी है कि तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, प्रार्थना पत्र अवलोकन व बयान शपथकर्ता आदि के आधार पर साक्ष्य के अभाव में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं० 27/2022 समाप्त की जाती है।

उक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा उपरोक्त मुकदमे में विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा लगायी गयी अन्तिम आख्या से संतुष्ट है और अंतिम आख्या पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अन्तिम आख्या स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र का०सं० 10A स्वीकार कर उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं० 27/2022 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(प्रियंवदा चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
J.O.Code- U.P. 3303

Digitally signed by PRIYAMVADA CHOWDHARY
Date: 2026.07.01 05:18:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court